

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: नर्सिंग/जोन कोटा/015074/2025/63

दिनांक:- 10/03/2025

अधीक्षक,
नवीन चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज परिसर,
कोटा।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
कोटा।

विषय:- निम्नलिखित नर्सिंग कर्मियों के एसीपी प्रस्तावों में आक्षेपों के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निम्नलिखित कर्मिका के एसीपी प्रस्तावों में आक्षेपों/कमीयां कर्मिका के नाम के सम्मुख अंकित की गई है की पूर्ति कर निदेशालय को 07 दिवस में भिजवाने का श्रम करें :-

क्र० सं०	कर्मचारी का नाम (श्रीमती/सुश्री)	संबंधित अधिकारी एवं प्राप्त पत्र क्रमांक एवं दिनांक	आक्षेप/कमीयां
1.	विरेंद्र कुमार मित्तल, नर्सिंग ऑफिसर	अधीक्षक, नवीन चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज परिसर, कोटा के पत्रांक 2614-05 दिनांक 18.09.2024	कार्मिक पर लगाए गए आरोप एवं दिये गये दंड के क्रम में आदेशों की प्रति निदेशालय भिजवाये जिससे प्रकरण में आगामी कार्यवाही संपादित की जा सके।
2.	गुरजीत कौर, नर्सिंग ऑफिसर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा के पत्रांक 4505 दिनांक 13.06.2024	राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 एवं एमएसीपी नियम अनुसार कर्मिका तब तक आगे के वित्तीय उन्नयन के लिए विचार किये जाने के पात्र नहीं होगी, जब तक की वह पुनः पदोन्नति के विचार किए जाने पर सहमत ना हो जाए और अगले वित्तीय उन्नयन को भी इनकार के कारण हुए स्थगन की अवधि की सीमा तक स्थगित कर दिया जाएगा।

(डॉ आशुतोष गर्ग)
संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

क्रमांक: नर्सिंग/जोन कोटा/015074/2025/63
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक:- 10/03/2025

- सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- प्रभारी सर्वर रुम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि संबंधित अधिकारी को ई-मेल करें।

Signature valid

Digitally signed by Ashutosh Garg
Designation: Joint Director
Date: 2025.03.06 17:16:48 IST
Reason: Approved

